संख्या- 9/2025/ 98 /35-4-2025/35-4099/34/2023

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बलिया ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक, 30 जनवरी,2025

विषय – जनपद बलिया में वित्तीय वर्ष 2024-25 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत अवशेष धनराशि की स्वीकृति एवं बचत की धनराशि व्यय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में शासनादेश सं0-17/2020/256/35-4-2020 दि0 17.02.2020 द्वारा मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा से आच्छादित राजकीय पालिटेक्निक बैरिया, बलिया के निर्माण कार्य की लागत रु0 1912.18 लाख (+जीएसटी नियमानुसार देय) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रु0 200.00 लाख अवमुक्त की गई | तत्पश्चात शासनादेश सं0-36/2021/635/35-4-2021, दि0 08-03-2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रु0 286.83 लाख, शासनादेश सं0-106/2021/1149/35-4-2021, दि0 27.07.2021 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में धनराशि रु0 947.31 लाख एवं शासनादेश सं0-417/2021/2293/35-4-2021, दि0 09-12-2021 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में धनराशि रु0 382.44 लाख अवमुक्त की गई | इस प्रकार प्रश्नगत कार्य हेतु अब तक चार किश्तों में कुल रु0 1816.58 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2- जिलाधिकारी के पत्रांक-1054/मा0मु0मं0घो0/रा0पा0बैरिया/2022-23, दिनांक 26.11.222 एवं महाप्रबन्धक,(नि0-9)/नो0अधि0,सी0एण्ड डी0एस0 जल निगम के पत्र दिनांक 20.08.2024 द्वारा उक्त शासनादेशों से स्वीकृत प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में अवमुक्त की गई धनराशि का व्यय होना इंगित करते हुये अवशेष धनराशि एवं जी0एस0टी0 मद में व्यय धनराशि की मांग की गयी है।

एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेशों से स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष **रू0 274.57 लाख (रूपये दो करोड़ चौहत्तर लाख सत्तावन हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	अद्यतन अवमुक्त धनराशि	उपभोग की गई धनराशि	लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि	जी0एस0टी0 मद में व्यय धनराशि	अवमुक्त हेतु कुल प्रस्तावित धनराशि (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
राजकीय	1912.18	1816.58	1434.14	95.60	178.97	274.57

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

पॉलीटेक्निक, बैरिया, बलिया का भवन निर्माण कार्य	(+जी0एस0टी0 नियमानुसार देय)		(78.94%)			

1. उक्त संदर्भित शासनादेश दि0 17.02.2020 , दिनांक 08-03-2021 व दिनांक 27.07.2021 एवं दि0 09-12-2021 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक, डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्कतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त, अनाहरित बचती है, तो उसे 31 मार्च, 2025 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2025 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0 प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2025 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/24/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये **रू0 2,74,57,000/- (रूपये दो करोड़ चौहत्तर लाख सत्तावन हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 42020210403030 2 राजकीय पालीटेक्निक भवन निर्माण के चालू कार्य-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4-यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/24/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

5- प्रश्नगत परियोजना पर कुल अर्जित ब्याज रू0 14.07 लाख एवं निविदा तथा अनुबन्ध की दरों में रू0 9.90 लाख की बचत, अर्थात कुल बचत धनराशि रू0 23.97 लाख में से बाह्य विद्युत संयोजन के मद में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

अतिरिक्त रू0 20.77 लाख (विद्युत विभाग द्वारा रू0 45.77 लाख का बीजक प्रेषित किया गया, जबकि योजना में बाह्य विद्युत संयोजन के मद में रू0 25.00 लाख स्वीकृत है, अर्थात रू0 20.77 लाख अतिरिक्त) व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अवशेष धनराशि यथा प्रक्रिया समयान्तर्गत समर्पित की जायेगी।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या- 9/2025/98(I)/35-4-2025/35-4099/34/2023-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार,लेखा एवं हकदारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त ।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव /विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7. मंडलायुक्त आजमगढ ।
8. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर उ0प्र0 ।
9. प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 जल निगम लि0, लखनऊ
10. मुख्य विकास अधिकारी, बलिया।
11. मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, बलिया
11. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी बलिया ।
13. परियोजना प्रबंधक, यूनिट-3, सी0एण्ड डी0एस0, उ0 प्र0 जल निगम,आजमगढ़ ।
14. संयुक्त निदेशक स्टेट ट्रांसफारमेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
15. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, नियोजन विभाग।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।